अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

मिलखी उर्फ मिलखराज बनाम पूर्ण आदि
दावा 88आर.टी.ए ,136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं0 64/2019
निर्णय दिनांक :- 21.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 30 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 69/56 में मिलखी पुत्र मेघाराम के स्थान पर मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम व खाता संख्या 70/55 में मिलखी पुत्र मंहगा राम के स्थान पर मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगाराम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 31/10/19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मूलचन्द लूणियाR.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

(मूलचन्द लूणियाR.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 64/2019

1. मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम जाति अरोडा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

1. पूर्ण पुत्र महंगा राम जाति अरोडा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,136 एलआरएक्ट

--निर्णय--

दिनांक : २१/१०/२०१९

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 69/56 के मु.न. 16 की कुल 1.556 हैक्टर नहरी भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 70/55 के मु.न. 35 की कुल 3.992 हैक्टर नहरी भूमि में से जरिए नामान्तरण संख्या 518 दिनांक 15.05.18 बंटवारानामा के आधार पर 2.425 हैक्टर भूमि वादी व वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1.497 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के खाता संख्या 69/56 में मुझ वादी का नाम मिलखी पुत्र मेघाराम व खाता संख्या 70/55 में मिलखी पुत्र मंहगा राम अंकित है। वादी का वास्तविक नाम मिलखराज पुत्र मंहगा राम जाति अरोडा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर है। इस कारण उक्त जमाबन्दी में वादी अपना नाम मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम अंकित करवाना चाहता है। जबकि तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में वादी का वास्तविक नाम मिलखराज पुत्र मंहगा राम अंकित हैं। वादी के नाम के सम्बन्ध में ग्राम 32 एफ अरायण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम मिलखी पुत्र मेघा राम अंकित है तथा अन्य तमाम दस्तावेज में वादी का नाम मिलखराज पुत्र मंहगा राम होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। सम्बन्धित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त जमाबन्दी में अपना नाम मिलखराज पुत्र मंहगा राम घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में दिनांक 28.01.2019 को तहसीलदार श्री करणपुर के पक्ष में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। इस कारण वादी वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 30 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 69/56 में मिलखी पुत्र मेघाराम के स्थान पर मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम व खाता संख्या 70/55 में मिलखी पुत्र मंहगा राम के स्थान पर मिलखराज पुत्र मंहगाराम घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामिल उपस्थित नहीं हाने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। राज्य(सरकार) द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर चक 30 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 69/56 में मिलखी पुत्र मेघाराम के स्थान पर मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम व खाता संख्या 70/55 में मिलखी पुत्र मंहगा राम के स्थान पर मिलखराज पुत्र मंहगाराम घोषित किये जाने बावत निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्वन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड में वादी का नाम मिलखराज अंकित है। वादीगण के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 32 अरायण द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम मिलखराज उर्फ मिलखी पुत्र मंहगा राम जाति अरोडा निवासी अरायण अंकित किया गया है। उक्त जमावन्दी के खाता संख्या 69/56 में नाम मिलखी पुत्र मेघा राम व खाता संख्या 70/55 में नाम मिलखी पुत्र मंहगा राम अंकित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 30 एफ तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 69/56 में मिलखी पुत्र मेघाराम के स्थान पर मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगा राम व खाता संख्या 70/55 में मिलखी पुत्र मंहगा राम के स्थान पर मिलखी उर्फ मिलखराज पुत्र मंहगाराम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुतर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक २१/१०/१९. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर